

प्रपत्र VI क
झारखण्ड सरकार
माहरणालय पूर्वी-सिंहभूम, जमशेदपुर
(भू-अर्जन शाखा)
या
समाहर्ता या समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना
(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

संख्या- 410

जमशेदपुर, दिनांक- 27.05.2016

चूंकि समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-आसना, थाना-घाटशिला, थाना नं0-46, अंचल घाटशिला, जिला-पूर्वी-सिंहभूम, में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना चाण्डिल वांधी मुख्य नहर के कि0मी0-85.47 से निःसृत ओ0एल0-38 पम्प नहर निर्माण हेतु अपेक्षित है, प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-आसना, थाना-घाटशिला, थाना नं0-46, अंचल-घाटशिला, जिला-पूर्वी-सिंहभूम में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश -1.835 एकड़ यानि 0.743 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन हैं

क 0	खाता सं0	सर्वे प्लॉट सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)				
							उ0	द0	पू0	प0	
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	32	640	कायमी	दोन-तीन	0.36	दासमत मांझी पिता वहादुर मांझी नि0	639अंश	छोटा धाइटका नं041	640अंश	640अंश	
2	-	639	-	दोन-तीन	0.18	मु0-	485,484अंश	640,643अंश	643,639अंश	639अंश	
3	10	643	कायमी	दोन-तीन	0.12	कासु मांझी पिता दासमात मांझी नि0-	643,484अंश	643अंश	643अंश	639अंश	
4	32	485	कायमी	दोन-तीन	0.04	दासमात मांझी पिता वहादुर मांझी नि0-	485अंश	639अंश	643अंश	485अंश	
5	10	484	कायमी	दोन-तीन	0.05	कासु मांझी पिता दासमात मांझी नि0-	481अंश	643,485अंश	484अंश	484,485अंश	
6	41	481	कायमी	दोन-तीन	0.03	निमाई मांझी पिता सिवु मांझी नि0-	480अंश	484अंश	481अंश	481अंश	
7	41	480	कायमी	दोन-तीन	0.04	सुखदा मांझी पिता शिवु मांझी नि0-	479अंश	481अंश	480अंश	480अंश	
8	41	479	कायमी	दोन-दो	0.02	दुवाई मांझी पिता शिवु मांझी नि0-	471अंश	480अंश	471अंश	479अंश	
9	26	471	कायमी	गोड़ा-एक	0.06	ठाकुर दास मांझी पिता सुन्दर मांझी नि0-	472अंश	479अंश	471अंश	471अंश	
10	3	472	कायमी	गोड़ा-एक	0.05	कारिया मांझी पिता किवु मांझी नि0-	473अंश	471अंश	472अंश	472अंश	
11	22	473	कायमी	गोड़ा-एक	0.04	छोटराय मांझी दुःखु मांझी पिता रतन मांझी वरदा मांझी पिता सिरमात मांझी नि0-	363अंश	472अंश	473अंश	473अंश	
12	-	361	-	गोड़ा-दो	0.05	मु0-	359अंश	363अंश	361अंश	361अंश	
13	36	359	कायमी	गोड़ा-दो	0.03	नरु सिन्दु मांझी पिता मुचीराम मांझी नि0-	356अंश	361अंश	359अंश	359अंश	
14	38	356	कायमी	गोड़ा-दो	0.06	दुवाई मांझी पिता गजिया मांझी नि0-	351अंश	359अंश	356अंश	356अंश	

15	52	350	कायमी	गोड़ा-एक	0.04	नारायण मांझी पिता उदय मांझी भादो मांझी पिता होपना मांझी	349अंश 351अंश 350अंश 351अंश
16	86	349	कायमी	गोड़ा-दो	0.04	राधानाथ मांझी दासमात मांझी पिता राम चन्द्र मांझी नि०-	347अंश 351अंश 349अंश 349अंश
17	19	347	कायमी	गोड़ा-दो	0.055	गुलु मांझी पिता वाधराम मांझी नि०-	346अंश 349अंश 347अंश 347अंश
18	29	346	कायमी	गोड़ा-दो	0.13	दाडो संधाल पिता मोटा संधाल नि०-	222अंश 347अंश 346अंश 346अंश
19	25	222	कायमी	पु०-परती	0.44	मु०- झानी माझियान पति सागराय मांझी नि०-	222अंश 222,346अंश 222अंश 222अंश

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या-30/2013) की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी सं०-1, के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य काया के संचालन करने हेतु विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी सं०-1, और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से आठ (60 दिनों) के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी सं०-1, के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

ह/०
वि०भू०अ०पदा०मानगो-1,
जमशेदपुर।

ह/०
अपर उपायुक्त
पूर्वी-सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक 410,

जमशेदपुर, दिनांक 27.05.2016

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पूर्वी-सिंहभूम, जमशेदपुर को जिले के वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, पूर्वी-सिंहभूम, जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान/प्रभात खबर/उदितवाणी में प्रकाशनार्थ/उपसमाहर्ता प्रभारो, जिला गजट, पूर्वी-सिंहभूम जमशेदपुर के अगले अंक के जिला गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह/०
विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी सं०-1,
सुवर्णरेखा परियोजना मानगो, जमशेदपुर।